# फर्द अहकाम

सोनादेवी बनाम धोलू वगैरह

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

केस संख्या 147/2021

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रुप से |
| --- | --- | --- |
| | | बहस करना चाही। वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 2/8/21 को पेश हो।<br>[signature]<br>उपखण्ड अधिकारी<br>जमवारामगढ़ जिला-जयपुर |
| | 2/8/21 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश हेतु नियत है। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र, लिखित बहस, प्रतिवादी के जवाब व सम्पूर्ण दस्तावेजात का अवलोकन करने व वकील उभय पक्षों की बहस को ध्यान में रखते हुए वादी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधि० को स्वीकार किया जाकर तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले इजलास में सुनाया गया।<br>पत्रावली फैसल शुमार होकर रजिस्टर से कम होकर तकमील बाद दाखिल दफ्तर हो।<br>[signature]<br>उपखण्ड अधिकारी<br>जमवारामगढ़ जिला-जयपुर |

(12)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
## पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

| सल नं0 | दायर दिनांक | फैसला दिनांक |
|---|---|---|
| 7/2021 | 29/07/2021 | 02/08/2024 |

–उनवान–

देवी पत्नि टीकमचन्द जाति माली निवासी ढाणी काला किवाडी की, कस्बा आमेर, तहसील आमेर, जयपुर राजस्थान।

**प्रार्थीया**

**बनाम**

म पुत्र कल्याण
श पुत्र कल्याण
शन पुत्र कल्याण
ल पुत्र कल्याण
जाति गुर्जर निवासी ग्राम खराना तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राजस्थान।
थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

**अप्रार्थीगण**

**थत अभिभाषक**
राजेश कुमार पारीक – वकील प्रार्थीया।
केशनलाल – वकील अप्रार्थी सं0 1 ता 4

**प्रार्थनापत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 251–ए राज़.काश्तकारी अधिनियम 1955**

**–:निर्णय :–**

प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता के प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया की भूमि खराना पटवार हल्का खरकड़ा, तहसील जमवारामगढ में भूमि खसरा नम्बर 306, 304 हैं एवं खसरा र 302 सहखातेदारी की भूमि है जिसमें आने जाने हेतु खसरा नम्बर 300 में से चालू रास्ता है खसरा र 300 के खातेदार अप्रार्थी सं0 1 ता 4 है। प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 304 एवं 306 तथा 2 के चारों ओर कोई भी अन्य आने जाने का राजस्व नक्शें में रास्ता दर्ज नही है और मौके पर पर कोई ता उकत खसरा नम्बर 300 में लाल रंग से दर्शित रास्ते के अलावा अन्यं कोई रास्ता नही है उक्त रास्ते संलग्न नजरी नक्शें मौके में लाल रंग से दर्शित किया गया है जो 20 फिट चौडा रास्ता है जिसमें से कर प्रार्थीया काफी वर्षो से अपने खेत खसरा नम्बर 304, 306 एवं 302 में आती जाती है तथा कदमी स्ता बना हुआ है। इसके अलावा प्रार्थीया की खातेदारी भूमि मे आने जाने का कोई रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थीगणों के मन मे कुछ समय से बदनियति आ गयी है और वह उक्त रास्ते में बाधा उत्पन्न करने लगे है र्थीया ने अप्रार्थीगण से कई मर्तबा आग्रह किया कि आपसी सहमति से रिकार्ड में रास्ता कायम करवा ले उचित मूल्याकंन प्राप्त कर ले परन्तु अप्रार्थीगण इस हेतु अन्तिम रूप से दिनांक 20.07.2021 को इन्कार गये और एलानिया कहा कि अब हम रास्ते का उपयोग नही करने देगे ना ही रास्ता रिकार्ड मे दज रवायेगे तथा तुमने यहा से आने जाने की कोशिश की तो तुमको जान से मार देगे ओर तुम्हारे खिलाफ ठे मुकदमे दर्ज करवा देगे। अप्रार्थीगण अपने खसरा नम्बर 300 में होकर आने जाने के रास्ते का उपयोग पभोग करने में दखल बाधा उत्पन्न कर रहे जिससे प्रार्थीया को काफी परेशानियों का सामना करना पड हा है प्रार्थीया को अपनी खातेदारी भूमि पर कृषि कार्य में काम आने वाले साधनों को लाने जाने मे काफी रेशानी होती है इसलिए प्रार्थीया काश्तकार को अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आने जाने के लिये रास्ते की आवश्यकता है जिससे अपनी कृषि भूमिं में आने जाने के लिये रास्ते की आवश्यकता है। अतः प्रार्थीया की खातेदारी भूमि में खसरा नम्बर 304, 306, 302 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 300 के मेड जो संलग्न नजरी नक्शें मौके में लाल रंग से दर्शाया गया है 20 फिट चौडा रास्ता कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गै0मु0रास्ता दर्ज किया जाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए का दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर जरिये रजिस्टर्ड डाक से तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री किशनलाल ने दिनांक 30.07.2024 को लिखित बहस व आपत्ति पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी सं0 5 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/एल0आर0/251ए/24/1419 दिनांक 29.04.24 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। पैरोकार सरकार ने जवाब/रिपोर्ट में अवगत कराया कि ग्राम खराना

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर

पटवार हल्का खरकडा के खसरा नम्बर 304, 306, 480/302 प्रार्थीया सोना देवी पत्नि टीकमचन्द जाति माली निवासी ढाणी काला किवाडी की आमेर के नाम रिकार्ड दर्ज है तथा प्रार्थीया वर्तमान मे खसरा नम्बर 304, 306, 480/302 मे आने जाने के लिए खसरा नम्बर 300 के पश्चिम में चालू रास्ते का उपयोग उपभोग करते है। खसरा नम्बर 300 वर्तमान मे छोटूराम, जगदीश, रामकिशन, रामफूल पि0 कल्याण गुर्जर सा0 खराना के नाम रिकार्ड दर्ज है। खसरा नम्बर 481/302 प्रार्थीया का शामलाती खसरा है जो कि प्रार्थीया के खसरा नम्बर 480/302 से लगता है तथा खसरा नम्बर 304 व 306, एवं 480/302 से लगा हुआ है। खसरा नम्बर 481/302 जो कि प्रार्थीया का शामलाती खसरा है, को शामलाती रास्ते के लिए छोडा गया है। यह रास्ता वर्तमान में बंद पडा है। राजस्व नक्शें में मुताबिक खसरा नम्बर 481/302 प्रार्थीया की खातेदारी भूमि से लगता हुआ ग्राम गांवली तहसील आंधी की सीमा तक रास्ते के रूप में लगा हुआ है तथा वर्तमान में बन्द है। वर्तमान में खसरा नम्बर 480/302, 304, 306 में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 300 में स्थित रास्ता चालू है। प्रार्थीया की खातेदारी में आने जाने हेतु एक विकल्प के तौर पर खसरा नम्बर 481/302 जो कि प्रार्थीया का शामलाती खसरा नम्बर है हो सकता है खसरा नम्बर 481/302 शामलाती में रास्ते के लिए छोडा गया है जो कि वर्तमान में बन्द है नक्शा संलग्न है।

बहस वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओ को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि में खसरा नम्बर 304, 306, 302 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 300 के मेड जो संलग्न नजरी नक्शें-मौके में लाल रंग से दर्शाया गया है 20 फिट चौडा रास्ता कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गै0मु0रास्ता दर्ज किया जावें।

वकील अप्रार्थी सं0 1 ता 4 ने अपनी बहस में लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया ने ग्राम खराणा तहसील जमवारामगढ में स्थित खसरा नम्बर 304, 306, 302 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 300 मे से 20 फिट चौडे रास्ते के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो कि विधि द्वारा स्थापित नियमों के विपरित होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद सं0 2 में अंकित खसरा नम्बर 304, 306, 302 के चारों ओर रास्ता नही होना बताया गया है जबकि वर्तमान में 300 एवं 302 के मध्य में से होते हुए चालू रास्ता 481/302 अंकित है जिनको प्रार्थना पत्र पक्षकार नही बनाया गया है जा कि चाहें गये खसरा नम्बरों के नजदीक है तथा खसरा नम्बर 306 के नजदीक 307 की सीमा में लगता हुआ रास्ता स्थित है। जो कि खसरा नम्बर 300 में से मांगे गये रास्ते से कम दूरी पर स्थित है इस आधार पर उकत प्रार्थना पत्र 251ए की भावना के विपरित होने के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण उक्त खसरे नम्ब 481/302 से ही आते जाते रहे है तथा उक्त प्रार्थना पत्र बिना नक्शा देखे ही प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कि खारिज किये जाने योग्य है। आपत्ति :- मौके पर 304, 306, 302 के नजदीक रास्ता खसरा नम्बर 307 के लगवा एवं खसरा नम्बर 300 एवं 302 की सीमा में रास्ता मौके पर चालू है जो कि उक्त प्रार्थीगण के खसरा नम्बरों के नजदीक होते हुये रास्ता है जहॉ से रास्ते के लिए प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया जबकि उक्त प्रार्थना पत्र रास्ते हेतु कम दूरी पर स्थित होने के आधार पर रास्ता हेतु प्रार्थना पत्र लगाना चाहिए था। अतः श्रीमानजी खसरा नम्बर 300 व 302 की सीमा में स्थित रास्ता एवं खसरा नम्बर 306 के आगे 307 की सीमा में लगता हुये रास्ता जो कि नजदीकी रास्ता है हेतु प्रार्थना पत्र पेश नही करने के आधार पर अधिक दूरी खसरा नम्बर 300 में से मांगने के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र धारा 251ए की भावना के विपरीत होने के आधार पर खारिज किया जावें।

पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट, अप्रार्थीगणों की लिखित बहस, पैरोकार सरकार का जवाब/रिपोर्ट व अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने व बहस का मनन करने पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-एराजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम खराना, पटवार हल्का खरकडा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित प्रार्थीया की कृषि भूमि खसरा नम्बर 306, 304, 302 में कृषि कार्य हेतु आने-जाने के लिए रास्ता मुताबिक रिपोर्ट खसरा नम्बर 300 में से 20 फिट चौडा भूमि को गैर मुमकिन रास्ता (सिवाय चक बिला लगानी) के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर अमल करे एवं संलग्न नजरी नक्शे अनुसार राजस्व नक्शें में प्रभावित खसरा में एक तरफ तरमीम करे तथा खसरा नम्बर 300 में से रास्ते के रूप में काम आने वाली भूमि के बदले प्रार्थीया की भूमि में से अप्रार्थीगणों के खसरा नम्बर के लगती हुई भूमि में खातेदारी दर्ज की जावें। नक्शा दुरूस्त कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शें में दर्शित स्थान पर रास्ता कायम करने के आदेश तहसीलदार जमवारामगढ को दिये जाते है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 02.08.2024 को सरे इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जयपुर